उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

1– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत गतिमान महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगतिः–

- परिषद द्वारा पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत वृन्दावन योजना लखनऊ में 5000 व्यक्तियों हेतु श्री अटल विहारी बाजपेयी संकुल का निर्माण प्रकियाधीन है।
- वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 में स्टेडियम का निर्माण(पी0पी0पी0 मॉडल)
- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में गोल्फ कोर्स का सृजन।
- कानपुर में मन्धना योजना के अधिग्रहण हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों पर लगभग 229 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव।
- मथुरा वृन्दावन योजना में ग्राम छटीकलॉ में 106 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रभावी सेवोत्तम प्रोसेस व्यवस्थानुसार प्रकरणों का निस्तारण।

2. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत गतिमान महत्वपूर्ण जनहित के कार्यः–

(क) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखि शहरों में प्रथम चरण में भवन निर्माणाधीन हैः–

▪ अवध विहार योजना, लखनऊ	4752 नग
▪ लोहरामऊ योजना सुल्तानपुर	192 नग
▪ मझोला योजना मुरादाबाद	288 नग
▪ जागृति विहार योजना मेरठ	144 नग
योग	**5376 नग**

(ख) परिषद द्वारा निम्नांकित स्थानों पर प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत भवनों का पंजीकरण खोला गया है।

▪	अनौरा लखनऊ	672 नग
▪	जहिरपुर लखनऊ	480 नग
▪	मोहनलालगंज लखनऊ	1344 नग
▪	सरोजनी नगर लखनऊ	752 नग
▪	प्रधानमंत्री आवास योजना गोण्डा	528 नग
▪	भिनगा मार्ग योजना बहराइच	192 नग
▪	उन्नाव	240 नग
▪	हरदोई	528 नग
▪	स्पिनिंग मिल इटावा	192 नग
▪	मझोला योजना मुरादाबाद	1728 नग
▪	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद	6000 नग
▪	जागृति विहार मेरठ	480 नग
		योग 13136 नग

(ग) वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7में स्टेडियम का निर्माण (पी0पी0पी0 मॉडल)

(घ) सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में गोल्फ कोर्स का सृजन।

3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा आगामी दो वर्षों की कार्य योजना।

(क) परिषद की कार्य–प्रणाली में विश्वसनीयता, गुणवत्ता तथा पारदर्शिता में विश्वसनीयता के लियेः–

- आवंटियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है।
- परिषद के समस्त कन्वेन्शन सेन्टर व बारात घर की बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है।
- नामान्तरण, निबन्धन, फ्रीहोल्ड, रिफण्ड व डुप्लीकेट प्रपत्र की प्रकिया upavp.in के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
- रूपया एक करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की अनावासीय सम्पत्तियों का निस्तारण ई–नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।